रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266727
CG-DL-E-07102025-266727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
No. 651] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि.735(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेच्द 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल मंत्रालय में रेल सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् रेल सेवाओं और पदों पर मूल रूप से नियुक्त रेल सेवकों पर लागू होंगे, किंतु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

(क) नैमितिक और दैनिक मजदूरी वाला व्यक्ति;

(ख) आकस्मिक व्यय संदत्त व्यक्ति;

(ग) संविदा पर नियोजित व्यक्ति

(घ) ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा के लिए निबंधन और शर्तें संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित की जा रही हैं; और

(ङ) ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष या साधारण आदेश के अनुसार रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 लागू होते हैं।

3. परिभाषा.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) किसी मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "प्रत्यायित बैंक" से रिज़र्व बैंक या कोई भी ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो उस मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सरकार के व्यापार को करने के लिए नियुक्त किया जाता है और न्यासी बैंक को निधियों का अंतरण करने हेतु मान्यता प्राप्त है;

(ख) "संचित पेंशन समूह" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन निवेशों का मौद्रिक मूल्य अभिप्रेत है;

(ग) "वार्षिकी" से संचित पेंशन समूह से वार्षिकी योजना की खरीद पर वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा अभिदाता को किया गया आवधिक भुगतान अभिप्रेत है;

(घ) "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से ऐसी जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित है तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध हैं;

(ङ) "प्राधिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसमें संकल्पों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण सम्मिलित है;

(च) "केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के लिए योजनाओं का अभिलेख रखने, लेखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा के कार्य करती है;

(छ) "संहिता" से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल स्थापना संहिता अभिप्रेत है;

(ज) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार के किसी विभाग, विभागाध्यक्ष या किसी प्रशासक द्वारा केंद्रीय सरकार की ओर से बिलों का आहरण और भुगतान करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है और इसमें विभागाध्यक्ष या प्रशासक भी सम्मिलित है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है;

(झ) "चेक आहरण और संवितरण अधिकारी" से किसी मंत्रालय या विभाग या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाला आहरण और संवितरण अधिकारी अभिप्रेत है जो एक प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में अपने पक्ष में खोले गए समानुदेशन खाते के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रकार के भुगतानों के लिए पैसे निकालने के लिए प्राधिकृत है;

(ञ) "रक्षा सेवाएँ" से भारत सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, रक्षा सेवाएँ अनुमानों से संदत्त रक्षा लेखा विभाग के अधीन सेवाएँ अभिप्रेत है और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अध्यधीन, अधीन नहीं है;

(ट) "परिलब्धियों" से नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट परिलब्धियां अभिप्रेत है;

(ठ) "विदेश सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें सरकारी कर्मचारी भारत के समेकित निधि या किसी राज्य के समेकित निधि या किसी संघ राज्य क्षेत्र के समेकित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की संस्वीकृति के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है;

(ड) "प्रपत्र" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ण) "विभागाध्यक्ष" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;

(त) "कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी, समान पद्धति में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;

(थ) "व्यक्तिगत पेंशन खाता" से किसी अभिदाता का खाता अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निबंधन और शर्तों को स्थापित करने वाली संविदा द्वारा निष्पादित किया जाता है;

(द) 'सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि" से किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या विधि द्वारा स्थापित नियम द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती है और जिसके व्यय पर संपूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास है;

(ध) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 में निर्दिष्ट अंशदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपस्थिति के बिंदु प्रणाली, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण एजेंसी और पेंशन निधियों का उपयोग करके किसी अभिदाता के अंशदानों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में संग्रहित और संचित किया जाता है;

(न) "वेतन और लेखा अधिकारी" में ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका आधिकारिक पद चाहे जो हो, जो केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के खातों का रखरखाव करता है और इसमें,-

(i) महालेखाकार सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के खातों या उसके खातों के भाग के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है: और

(ii) वित्तीय सलाहकार और रेलवे का मुख्य लेखा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है;

(ऩ) "पेंशन निधि" से ऐसा मध्यस्थ अभिप्रेत है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अधीन, विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से, अंशदान प्राप्त करने, उन्हें जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के रूप में प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(प) "स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(फ) "अभिदाता" से ऐसा सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जो पेंशन निधि की योजना के लिए अभिदाय करता है।

(ब) "न्यासी बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु संहिता, रेल सेवा (पेंशन), 1993, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता, नियम, अधिनियम या विनियमों में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

साधारण शर्तें

4. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण (1)** ऐसा रेल सेवक, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर, तत्काल ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में, नियम 10 में संदर्भित विकल्प प्ररूप सहित कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, इस पर अभिप्राप्त करने की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और उसे रेल सेवक के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से तीन कार्य दिवस के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा और कार्यालयाध्यक्ष अभिलेख के लिए आवेदन प्रपत्र की एक प्रति रखेगा।

(3) आहरण और संवितरण अधिकारी, वैयक्तिक अभिदाता के आवेदन, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष से आवेदन की अभिप्राप्ति होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर अग्रेषित करेगा।

(4) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, आहरण और संवितरण अधिकारी से प्राप्त आवेदन का प्रक्रमण करेगा तथा आहरण और संवितरण अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को भी अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी और प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्ररूप में प्रत्येक रेल सेवक के संबंध में एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित करेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया और आरंभ से समापन के समय के अनुसार, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या संसूचित करेगा और अभिदाता को भी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता किट अग्रेषित करेगा।

(7) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(8) आहरण और संवितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(9) कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की सूचना देगा और अभिदाता द्वारा प्रस्तुत सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में और अभिदाता की सेवा पुस्तिका में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) को दर्ज करेगा और तत्पश्चात, पांच कार्य दिवस के भीतर अभिदाता की सेवा पुस्तिका में सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप की प्रमाणित प्रति भी चिपकाएगा।

(10) उप-नियम (2) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रेल सेवक के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में प्रथम अंशदान के जमा होने में कोई विलंब न हो।

(11) रेल सेवक का पहला अंशदान उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में, उप-नियम (1) के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख के बीस दिन के भीतर या रेल सेवक के कार्यग्रहण करने के मास की अंतिम तारीख तक, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तक जमा किया जाएगा।

(12) ऐसे मामले में, जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रेल सेवक रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पहले महीने या बाद के किसी मास के लिए वेतन के आहरण की तारीख से पूर्व पूर्ण न हुई हो, तो रेल सेवक के ऐसे वेतन या वेतनों का भुगतान नियम 6 के अनुसार यथा अवधारित अंशदान की राशि घटाने के पश्चात् किया जाएगा।

(13) जैसे ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रेल सेवक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के सृजित होने की प्रक्रिया केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा पूर्ण की जाती है, वेतन से विधारित अंशदान की राशि और नियम 8 के अधीन देय ब्याज की राशि को रेल सेवक के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(14) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए विकल्प प्ररूप पर नियम 10 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. परिलब्धियाँ - (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान की राशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'परिलब्धियां' में संहिता के नियम 1303 के खंड (i) में यथा परिभाषित किसी कैलेंडर मास का मूल वेतन, चिकित्सा अधिकारी को निजी अभ्यास के बदले में देय गैर-अभ्यास भत्ता और स्वीकार्य महंगाई भता सम्मिलित है:

परंतु, रनिंग कर्मचारियों के मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2004/एसी-।।/21/1 तारीख 22.06.2004 में निर्दिष्ट पद्धति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान की राशि अवधारित करने के लिए परिलब्धियों के रूप में लिया जाएगा।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता ड्यूटी से अनुपस्थित, छुट्टी पर था, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

परंतु, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ते की राशि को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता किसी कैलेंडर मास के पूरे या किसी भाग के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित या असाधारण छुटटी पर था, तो छुटटी वेतन में उसका वेतन या वेतन को दर्शाने वाली राशि, इस नियम में निर्दिष्ट गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ता जो उसने कैलेंडर माह के उस भाग के लिए वास्तव में आहरित किया, जिसके दौरान वह ड्यूटी पर था या छुटटी पर था, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(4) यदि कोई कर्मचारी निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(5) भारत में प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अभिदाता द्वारा आहरित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(6) विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में, परिलब्धियों के लिए उनके उस वेतन को गणना में लिया जाएगा जो वह सरकार के अधीन तब आहरित कर रहे होते यदि वह विदेशी सेवा या ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न होते।

(7) यदि कोई सेवानिवृत्त अभिदाता, जो रेल सेवा में पुनर्नियोजित है और जिसके लिए ये नियम लागू हैं और जिसके पुनर्नियोजन पर उसके वेतन से उनके मासिक पेंशन से अनधिक राशि को कम किया गया है, मासिक पेंशन के तत्व को, जिससे वेतन में कटौती की गई है परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाएगा।

6. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता द्वारा अंशदान** (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाता प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा।

(2) देय अंशदान की राशि को रुपये के अगले उच्च मूल्य तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(3) निलंबन की अवधि के दौरान, अभिदाता द्वारा उसके विकल्प पर अंशदान किया जा सकेगाः

परंतु, जहां जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के दौरान व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश पर, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, माना जाता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है।

(4) अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जा सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

(5) ड्यूटी से अनुपस्थिति (छुटटी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छुटटी वेतन देय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्यधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार परिकलित परिलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

(7) भूतलक्षी वृद्धि के कारण अभिदाता द्वारा अभिप्राप्त वेतन के किसी भी बकायों के संबंध में किया गया अंशदान उस मास के अंशदान के रूप में माना जाएगा जिसमें उसका भुगतान किया जाता है।

(8) परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।

(9) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की कटौती और जमा को रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

(10) आहरण और संवितरण अधिकारी रेल सेवक के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के ब्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

(11) कोई अभिदाता अपने विकल्प पर, प्राधिकरण और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अंशदान में अधिक अंशदान कर सकेगा।

(12) (i) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को उप-नियम (10) के अधीन प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के ब्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक माह के पच्चीसवें दिन तक अंतरण पहचान संख्या सृजित करेगा।

(ii) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्यदिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा:

परंतु यह, मार्च के महीने के लिए अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल मास के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सकेगा।

(iii) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात् अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

7. सरकार द्वारा अंशदान (1) सरकार प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में रेल सेवक की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। अंशदान की देय राशि को रुपये के अगले उच्च मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा:

परंतु, उन मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण, या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है, और ऐसी छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार आनुमानिक परिलब्धि जिसमें नियम 5 में निर्दिष्ट छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि हर महीने अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान करेगी।

(2) उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान अभिदाता को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की अपेक्षा नहीं है।

(3) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिए जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा:

परंतु, निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जहां अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था:

परंतु यह और कि, जहां जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के दौरान अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुट्टी माना जाता है, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है:

परंतु यह भी कि, सरकार द्वारा जमा किये जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा और इस

प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

(4) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा अंशदान को रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

(5) देय अंशदान की राशि को रुपये के अगले उच्चतर मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा।

(6) अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे।

परंतु, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज - (1) विलंब होने की दशा में, अभिदाता के उत्तरदायी न होने के मामले में, -

(i) नियम 4 में यथा उपबंधित समय सीमा के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारंभ होना; या

(ii) नियम 6 में यथा उपबंधित समय सीमा के पश्चात् अभिदाता के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती या उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा करना; या

(iii) नियम 7 में यथा उपबंधित समय सीमा के पश्चात् अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा मासिक अंशदान को जमा करना, विलंबित अवधि के लिए अंशदान की राशि ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जाएगी:

परंतु यह तब जबकि, कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की राशि जमा करने के तीस दिन की अवधि के भीतर ब्याज जमा किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि, इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित ब्याज की दर होगी :

परंतु यह भी कि, 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2012 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, बोर्ड के तारीख 21.02.2019 और 07.06.2019 के पत्र संख्या डी-43/12/2018-एफ(ई)III द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(2) (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण या नियम 4 के अधीन अंशदान शुरू होने या नियम 6 के अधीन अभिदाता के मासिक अंशदान में कटौती या जमा होने या नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में मासिक अंशदान जमा करने में विलंब होने के प्रत्येक मामले में उत्तरदायित्व के निपटान के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है, तो ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की राशि का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारीगण दायी होंगे;

(iii) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों के उत्तरदायित्व और देयता की राशि उसी तरह से अवधारित की जाएगी जिस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 की उपधारा (1 क) के अधीन स्रोत पर कर कटौती के विलंबित कटौती या प्रेषण के मामले में की जाती है :

परंतु यह तब जबकि, इस संबंध में प्रशासनिक चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारी या अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो।

9. संचित पेंशन समूह का निवेश .- किसी अभिदाता के संबंध में संचित पेंशन समूह को, ऐसी पेंशन निधि या निधियों द्वारा और ऐसी रीति से निवेश किया जा सकेगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए।

10. सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु या अविधिमान्य या दिव्यांगता होने पर हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक रेल सेवक, रेल सेवा में कार्यग्रहण करने के समय, उसकी मृत्यु या दिव्यांगता के आधार पर सेवामुक्ति या अविधिमान्य होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 अथवा, रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे रेल सेवक, जो पहले से ही रेल सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(2) विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात् उसे स्वीकृत करेगा और इसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि केन्द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को, आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी तथा वेतन और लेखा अधिकारी भी रेल सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में ब्यौरों को उपदर्शित करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेगा।

(4) (क) (i) प्रत्येक रेल सेवक प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि रेल सेवक का कोई कुटुंब नहीं है, तो उसे कुटुंब का अभिग्रहण करते ही प्ररूप 2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) रेल कर्मचारी अपने बच्चे के विवाह के तथ्य सहित कुटुंब के सदस्यों की संख्या में कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन होने पर कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करेगा।

(ग) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट दिव्यांगता जब भी किसी बालक में होती है, जिसके कारण वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो यह तथ्य कार्यालयाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा, जो कि निम्नलिखित से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा विधिवत् समर्थित होगा-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ii) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्राचार्य या एक निदेशक या संस्थान का प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उसके द्वारा नामित व्यक्ति और दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक मानसिक मंदता सहित दिव्यांगता के विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा; या

(iii) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा निदेशक या एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या प्रभाग का प्रभारी या अध्यक्ष के रूप में उसके द्वारा नामित व्यक्ति और दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक मानसिक मंदता सहित दिव्यांगता के विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा:

परंतु यह तब, जब भी कुटुंब पेंशन के लिए दावा किया जाता है तो नया चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।

(घ) (i) कार्यालयाध्यक्ष, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति पर, प्ररूप 2 और इस संबंध में रेल सेवक से प्राप्त सभी भावी सूचनाओं की अभिप्राप्ति की सूचना देगा, अभिप्राप्ति की तारीख दर्शाते हुए उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे संबंधित रेल सेवक की सेवा पुस्तिका पर चिपकाएगा;

(ii) कुटुंब के आकार में किसी परिवर्तन के बारे में रेल सेवक से संचार प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।

(5) (क) उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प, अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प देकर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय अनगिनत बार संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखा अधिकारी उप-नियम (2) में उल्लिखित आगे की कार्रवाई करेंगे;

(ख) **अविधिमान्य** या दिव्यांगता होने पर सेवामुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवामुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा;

(ग) जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवामुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प प्रभावी हो जाएगा;

(घ) जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं गया था और अभिदाता सेवामुक्ति के समय किसी विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को इस नियम के उप-नियम (7) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(6) सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और परिवार के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(7) (क) जहां अभिदाता ने उप-नियम (1) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, उसके कुटुंब को व्यतिक्रम विकल्प के रूप में कुटुंब पेंशन दी जाएगी;

(ख) जहां कोई अभिदाता उप-नियम (1) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर अविधिमान्य या दिव्यांगता होने पर रेल सेवा से मुक्त किया जाता है, और मुक्ति के समय किसी विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, व्यतिक्रम विकल्प के रूप में अविधिमान्य पेंशन या दिव्यांगता पेंशन दी जाएगी;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवामुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर कुटुंब का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार, व्यतिक्रम विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(8) ऐसे मामलों में, जहां मृतक अभिदाता रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभों के लिए उप-नियम (1) के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उप-नियम (7) के अनुसार व्यतिक्रम विकल्प रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन देने के लिए परिवार के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्वीकार्य हितलाभों को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

11. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति - ऐसा अभिदाता, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है या, यदि किसी अभिदाता की सेवा को अधिवर्षिता की अवधि से आगे विस्तारित किया गया है, तो अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को यथास्वीकार्य हितलाभों, का हकदार होगा।

12. बीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति - (1) किसी अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता पर लागू नहीं होगा, जो -

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गए कार्य पर;

(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनाती;

(iii) किसी विदेशी सरकार में एक विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गए कार्य पर, जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात्, उसने भारत में पद पर कार्यभार पुनर्ग्रहण न किया हो और एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा न की है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "नियमित सेवा" से केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर किसी पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से शुरू होने वाली सेवा अर्थ होगा, चाहे वह सीधी भर्ती या आमेलन या पुनर्नियोजन के आधार पर हो और इसमें उचित अनुमति के साथ, वर्तमान सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, उसी में या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के विभाग, राज्य सरकार या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय में दी गई पिछली नियमित सेवा सम्मिलित होगी, यदि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपदान के प्रयोजन के लिए ऐसी पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की अनुज्ञा है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश सहित), प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा माना जाएगा।

(ग) उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग, राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी निकाय में नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व अनियत, तदर्थ या संविदा के आधार पर प्रदान की गई सेवा को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा नहीं माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिदाता नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास से कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर सकेंगे।

(ख) उप-नियम (2) के अधीन खंड (क) के अधीन अनुरोध की अभिप्राप्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, योग्यता के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि के घटने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

(4) अभिदाता, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय के लिए आवश्यक नोटिस दिया है, को ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त, अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा:

परंतु वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया गया हो।

(5) यह नियम उस अभिदाता पर लागू नहीं होगा, जो -

(क) तारीख 4 अगस्त, 2004 के पत्र संख्या ई(पीएंडए)-2002/आरटी-1 के अधीन लागू, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है; या

(ख) स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ, "नियुक्ति प्राधिकारी" से प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है, जिससे अभिदाता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है।

(6) अभिदाता, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा।

(7) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

13. भारतीय रेल स्थापना संहिता- खंड II (1987-संस्करण) का अध्याय 18 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ - (1) ऐसा अभिदाता,-

(i) जो भारतीय रेल स्थापना संहिता- खंड II (1987-संस्करण) का अध्याय 18 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त है; या

(ii) जो उस संस्थान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर जिसमें वह सेवारत है, 4 अगस्त, 2004 के पत्र संख्या ई(पीएंडए)-2002/आरटी-1 के अधीन लागू, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प का चयन करता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के लिए यथास्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा:

परंतु कोई अभिदाता जो उस संस्थान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर जिसमें वह सेवारत है, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चयन करता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्वीकार्य हितलाभों के अतिरिक्त इस योजना के अधीन स्वीकार्य अनुग्रह राशि का भी हकदार होगा।

(2) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

14. रेल सेवा से त्यागपत्र - (1) रेल सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन समूह में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा :

परंतु एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा भुगतान उस तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाएगा जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है:

परंतु यह और कि, यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस तारीख से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता अपने विकल्प पर गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) जहां उचित अनुज्ञा के साथ, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में कोई अन्य नियुक्ति, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, लेने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विभाग के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वहां अभिदाता नई नियुक्ति लेने पर उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा और वह उस तारीख से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य माना जाएगा जिस तारीख से वह उस पद पर सरकारी सेवा में शामिल हुआ था, जिस पर उसे पहली बार नियुक्त किया गया था:

परंतु जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता के निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ को प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु यह भी कि जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात:-

(क) संबंधित व्यक्ति अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के समय एक अस्थायी रेल सेवक नहीं था;

(ख) रेल सेवक द्वारा त्यागपत्र कुछ आवश्यक कारणों से दिया गया था, जिसमें उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण पर कोई प्रतिबिंब अंतर्वलित नहीं था और उन परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण वह मूल रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हुआ था;

(ग) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने की लिए अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(घ) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा मिलने के परिणामस्वरूप फिर से कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा दी गई, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिन से अधिक नहीं है;

(ङ) वह पद, जो उसके त्यागपत्र की स्वीकृति पर रेल सेवक द्वारा खाली किया गया था या कोई अन्य समतुल्य पद उपलब्ध है।

(4) त्यागपत्र वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां रेल सेवक किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी या निगम या कंपनी में, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में या किसी ऐसे निकाय द्वारा जो सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित है, नियुक्ति लेने के लिए सेवा या पद से त्यागपत्र देता है।

(5) जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा देने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश में सेवा में व्यवधान के लिए माफी दी गई, समझा जाएगा।

15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर फायदे- (1) किसी अभिदाता को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, तो अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु नए निकाय या संगठन आदि जहां अभिदाता को आमेलित किया गया है से निकासी के पश्चात् हितलाभ प्राप्त होंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आच्छादित नहीं किए गए हैं, ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे, जो सरकारी विभाग जिसमें वे कार्यरत थे, के केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलित होते हैं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के पूर्णतः अधीन या दो या अधिक राज्य सरकारों, या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित होने की अनुज्ञा दी गई है।

स्पष्टीकरण 1: आमेलन की तारीख वह होगी जब, अभिदाता -

i. किसी कारपोरेशन में कंपनी या निकाय या तत्काल आमेलन होने के आधार पर कार्यग्रहण करता है , जिस तारीख को वह वस्तुतः उस कारपोरेशन या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है;

ii. प्रारंभ में विदेशी सेवा शर्तों पर किसी कारपोरेशन या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, वह तारीख जिससे सरकार द्वारा बिना शर्त उसका त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है; और

iii. किसी सरकारी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर किसी कारपोरेशन या कंपनी या निकाय में शामिल होता है, वह तारीख जिससे उस कारपोरेशन या कंपनी या निकाय में शामिल होने का उसका विकल्प सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निकाय से स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय अभिप्रेत है।

16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी- (1) अभिदाता के दिव्यांग होने के मामलें में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु, ऐसा अभिदाता दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई अभिदाता, ऐसे मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम करती है, के कारण सेवा से मुक्त होने का इच्छुक है, वह अविधिमान्यता सेवानिवृत्ति पर हितलाभों के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा:

परंतु, अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभों के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु यह और कि, अभिदाता जिसे दिव्यांगता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, अभिदाता को सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है:

परंतु, यदि अभिदाता इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध को इस नियम के उपबंधों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जा सकेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिदाता की जांच के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा -

(क) राजपत्रित रेल सेवक और अराजपत्रित रेल सेवक जिसका वेतन, संहिता के नियम 1303 (i) में यथापरिभाषित, चौवन हजार रुपए प्रति मास से अधिक है; के मामले में चिकित्सा बोर्ड,

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य चिकित्सा अधिकारी।

चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता के सेवारत कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अभिदाता के आधिकारिक अभिलेख से अभिदाता की आयु का उल्लेख होगा, और यदि अभिदाता की सेवा पुस्तिका है, तो उसके अनुसार उसकी आयु का ब्यौरा देने वाली विवरणी होगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) अभिदाता उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगी कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं या फिर वह जिस कार्य में कार्यरत है, उससे कम श्रम वाले कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए योग्य है।

(5) सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

(6) जब किसी महिला अभ्यर्थी की जांच की जानी हो, तो एक महिला चिकित्सक को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) जहां उपनियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लेखित किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया है, तो उसे प्ररूप 3 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(8) यदि अभिदाता को, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित किया जा सकेगा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(9) जहां अभिदाता ने, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम का विकल्प है, और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

(10) यदि अभिदाता रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत उप-नियम (9) के अनुसरण में फायदे प्राप्त करता है, तो अभिदाता का व्यक्तिगत पेंशन खाता बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन समूह में सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा।

परंतु, शेष संचित पेंशन समूह का संदत्त अभिदाता को एकमुश्त किया जाएगा।

(11) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

(12) यदि अभिदाता, उप- नियम (11) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

17. निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर पात्रता.- (1) जहां अभिदाता ने, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम का विकल्प है, रेल सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, तो रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

(2) यदि अभिदाता उप-नियम (1) के अनुसरण में रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा।

परंतु, शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

(3) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है, सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवामुक्त किया जाता है, उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

(4) यदि अभिदाता, उप-नियम (3) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

18. अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव- (1) जहां अभिदाता, रेल सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या पदच्युत या हटा दिया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी:

परंतु, प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) इन नियमों द्वारा आच्छादन नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर उप-नियम (1) प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे, जो ऐसे हितलाभों पर लागू होते हैं।

19. सेवानिवृत्ति पर लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव.- (1) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, जो अभिदाता के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थीं, किन्तु अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई हैं या अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही, अभिदाता को उसके संचित पेंशन कॉर्पस से संदेय हितलाभों को प्रभावित नहीं करेगी और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रावधान इन नियमों के अंतर्गत न आने वाले उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में ऐसे मामलों में की जा रही किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और उन लाभों को ऐसे लाभों पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

20. अभिदाता की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पात्रता.- (1) मृत्यु होने पर, -

(क) अभिदाता, जिसने रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है; या

(ख) सेवानिवृत्त अभिदाता, जिसे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 16 के संदर्भ में अशक्तता पेंशन या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के नियम 17 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिली हो, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी:

परंतु, रेल सेवा के कारण मृत्यु होने पर, उन सभी नियमों के अंतर्गत हितलाभों की स्वीकृति की सभी शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत उप-नियम (1) के अनुसरण में परिवार को हितलाभ देय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा:

परंतु, शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को एकमुश्त किया जाएगा जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत नामानिर्देशन किया गया है:

परंतु यह और कि, यदि ऐसा कोई नामानिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामानिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

(3) अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है; ऐसे हितलाभ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में दिए जा सकेंगे।

21. सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं की सूची तैयार करना : (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को ऐसे सभी अभिदाताओं की सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट, ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्तूबर जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष ऐसी सेवानिवृत्ति के तथ्य की जानकारी मिलते ही उसे यथाशीघ्र संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) यदि संबंधित अभिदाता सरकारी आवास या रेलवे आवास का आबंटिती है तो उप-नियम (3) के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी गई सूचना की एक प्रति संपदा निदेशालय या रेलवे आवास के आबंटन के लिए संबंधित कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

22. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के संबंध में संपदा निदेशालय अथवा रेलवे के संबंधित कार्यालय को सूचित करना- (1) कार्यालयाध्यक्ष, ऐसे अभिदाता (जिसे इसमें इसके पश्चात आबंटिती कहा गया है), जिसके पास सरकारी आवास या रेलवे आवास जैसा भी मामला हो, था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय या रेलवे आवास के मामले में संबंधित कार्यालय को, आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए लिखेगा।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, संपदा निदेशालय या रेलवे आवास के आबंटन से संबंधित कार्यालय आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

23. अधिवर्षिता पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभों के लिए दावा प्रस्तुत करना - (1) अभिदाता के पास प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत फायदों का दावा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता को, अपनी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व, या जिस तारीख पर वह सेवानिवृत्त होने की तैयारी के लिए आगे बढ़ता है, जो भी पहले हो, प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट विधिवत भरा हुआ आहरण प्रपत्र, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

(3) सेवानिवृत्ति के अन्य मामलों में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर, अभिदाता ऐसी सेवानिवृत्ति या निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के जारी होने के तुरंत पश्चात् प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट आहरण प्ररूप को आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप में भरकर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अभिदाता ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया है, वहां उसे उक्त आहरण प्रपत्र के प्रिंट-आउट की एक हस्ताक्षरित प्रति, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दावा पहचान संख्या (ओं) का सृजन करेगी और उन अभिदाताओं, जो अगले छह मास में अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, के लिए नोडल अधिकारियों अर्थात् वेतन एवं लेखा अधिकारी या चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व सूचित करेगी।

24. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करना और अग्रेषित करना.- (1) कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर दस्तावेजों को पूरा करेगा और उन्हें नीचे उल्लिखित प्ररूप में एक आवरण पत्र सहित आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा: -

सेवानिवृत्ति या निकासी के प्रकार.	आवरण पत्र के प्रपत्र.
भारतीय रेल स्थापना संहिता- खंड II (1987-संस्करण) के अध्याय 18 के अंतर्गत अधिवार्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति अथवा पत्र संख्या ई (पी एंड ए) -2002 / आरटी -1 दिनांक 4 अगस्त, 2004 द्वारा शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम।	प्ररूप 4-क
तकनीकी त्यागपत्र या किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन।	प्ररूप 4-ख
त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाया जाना।	प्ररूप 4-ग
अशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति।	प्ररूप 4-घ
सेवा के दौरान मृत्यु	प्ररूप 4-ङ

(2) अधिवर्षिता प्राप्त होने पर अभिदाता के सेवानिवृत्त होने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता के सेवानिवृत्त होने की तारीख से चार मास के भीतर तथा अन्य मामलों में, अभिदाता की सेवानिवृत्ति या निकासी के पश्चात एक मास के भीतर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी को सम्पूर्ण दस्तावेज़ अग्रेषित करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रपत्रों और दस्तावेजों की एक प्रति रखेगा।

(4) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण की ऑनलाइन प्रणाली निकासी के अनुरोध को प्रक्रियाबद्ध करने के पश्चात, वेतन और लेखा अधिकारी अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास पूर्व उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

(5) यदि अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिवर्षिता या निकासी की तारीख से परे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी को अधिवर्षिता प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व भेज देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे विकल्प प्रक्रियाबद्ध किए जा सकेंगे।

25. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता : (1) अभिदाता के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्रवाई मूल विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी।

(2) अभिदाता के किसी राज्य सरकार या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्रवाई राज्य सरकार या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करने वाले कार्यालयाध्यक्ष या संवर्ग प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(3) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में, जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर हों, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्रवाई मूल विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

26. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना- जब कोई अभिदाता सेवा से सेवानिवृत्त होता है, -

(क) राजपत्रित अभिदाता के मामले में सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना ; और

(ख) अराजपत्रित अभिदाता के मामले में कार्यालय आदेश ऐसी तारीख के एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख को दर्शाते हुए जारी किया जाएगा और ऐसी अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी को तुरंत अग्रेषित की जाएगी।

27.निर्वचन.- जहां नियमों के निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न होने इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से परामर्श करने के पश्चात निर्णय लेगा।

28. शिथिल करने की शक्ति.- (1) जहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई होती है, वहां प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस नियम की अपेक्षाओं को समाप्त करने या शिथिल करने के लिए ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संपर्क कर सकता है, जैसा कि वह मामले को उचित और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करेगा और प्रस्तावित छूट या छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी संसूचित करने की व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य वैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे :

परंतु, ऐसा कोई आदेश भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

29. अवशिष्ट मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति : (1) कोई ऐसे मुद्दे, जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, रेल सेवा (पेंशन) नियम, संहिता या सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य साधारण या विशेष आदेश में निहित इस संबंध में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, परंतु, ये इन नियमों के उपबंधों के विरूद्ध या उससे असंगत न हों।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे मामले को विनियमित करने के लिए आदेश या अनुदेश जारी कर सकेगी, जिसके लिए बनाए गए नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या इन नियमों के अंतर्गत किया गया नहीं समझा गया हैं और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

30. निरसन और व्यावृत्ति : इन नियमों के प्रारम्भ होने पर, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन, जहां तक वह इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी मामले के लिए उपबंधित है, प्रवर्तन में नहीं रहेगा। उन आदेशों, अनुदेशों या कार्यालय ज्ञापन के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अंतर्गत की गई समझी जाएगी।

प्रारूप 1

सेवा के दौरान रेल कर्मचारी/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या नि:शक्तता होने पर कार्यमुक्ति के मामले में फायदों का उपयोग करने के लिए विकल्प

[नियम 10 देखें)

* मै, ..., इस विकल्प का प्रयोग करता/करती हूँ कि सेवा के दौरान नि:शक्तता के कारण सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृति होने या मृत्यु होने की स्थिति में, यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1993, के अधीन फायदों का संदाय मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

या

* मै, ..., इस विकल्प का प्रयोग करता/करती हूँ कि सेवा के दौरान नि:शक्तता के कारण सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत होने या मृत्यु होने की स्थिति में, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2024 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणानी के अधीन व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन कॉर्पस के आधार पर, फायदों का संदाय यथास्थिति मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

रेल कर्मचारी/अभिदाता का हस्ताक्षर

नाम----------

पदनाम----------

कार्यालय जिसमें सेवारत है

दूरभाष सं.----------

स्थान और दिनांक:

इस विकल्प से पूर्व में मेरे द्वारा दिए गए अन्य विकल्प अधिक्रांत हो जाएंगे।

* ऐसे फायदों को पूर्णत: काट दे जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना है।

(कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयनन) नियम, 2024 के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी ....., द्वारा चयनित दिनांक..... का विकल्प प्राप्त किया गया

पदनाम.....

कार्यालय.....

प्राप्त विकल्प की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं. ..... भाग ..... में की गयी।

हस्ताक्षर,

कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक……..

प्राप्तकर्ता अधिकारी उपरोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्रारूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे वह, उसकी मृत्यु/नि:शक्तता होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्रारूप 2

कुटुंब के ब्यौरे

[नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

1. रेल कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्रारूप को प्रतिधारित किया जाए। रेल कर्मचारी/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाए और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्रारूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्रारूप के स्थान पर नया प्रारूप न भरा जाए। बहरहाल, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बच्चों और माता-पिता (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा नि:शक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

3. कार्यालय अध्यक्ष 'टिप्पणियाँ' स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। नि:शक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन की सूचना को भी 'टिप्पणियाँ' स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(23)-पीएंडपीडब्ल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाए।

रेल कर्मचारी/अभिदाता का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे :

क्र. सं.	**नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)**	**जन्म तारीख (दिन/मास/वर्ष)**	**आधार सं. (वैकल्पिक)**	**रेल कर्मचारी/ सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी/ अभिदाता के साथ संबंध**	**वैवाहिक प्रास्थिति**	**टिप्पणियाँ**	**कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और दिनांक**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं ..... कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हूँ।

ई-मेल: (वैकल्पिक)

मोबाइल: (वैकल्पिक)

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

- *आधार संख्या साझा करना वैकल्पिक है। बहरहाल तो ,यदि यह दिया जाता है ,इसे केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई समझा जाएगा। ,*

प्रारूप 3

(नियम 16 देखें)

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/(हमने) .....(रेल कर्मचारी/अभिदाता का नाम) पुत्र श्री ..... की सावधानीपूर्वक जांच की जो कि ..... में ..... (पदनाम) पद पर कार्यरत हैं।

मेरे/हमारे मतानुसार श्री ..... विभाग में ..... (यहाँ पर रोग या कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णत: और स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

(यदि अक्षमता पूर्णत: और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र में तदनुसार संशोधन किया जाए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाए)

"मेरे/हमारे मतानुसार श्री ..... इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए उपयुक्त है/..... मास के विश्राम के पश्चात इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए उपयुक्त हो जाएँगे।"

स्थान .....

दिनांक .....

चिकित्सा प्राधिकारी

प्रारूप **4-** क

[नियम 24 देखें]

[अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृति या समयपूर्व सेवानिवृति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्रारूप]

सं. .....

भारत सरकार

..... मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

दिनांक .....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी,

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (पीआरएएन.....) के मामले में अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृति या समयपूर्व सेवानिवृति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति पर सेवानिवृति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि:

* इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन ..... दिनांक ..... को अधिवर्षिता पारास करने पर सेवानिवृत हो रहे हैं।

या

* रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 12 या दिनांक 04.08.2004 के पत्र सं. ई(पीएंडए)-2002/आरटी-1 के तहत लागू संहिता या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अध्याय 18 के अधीन इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन ..... की दिनांक..... से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

या

* संहिता (1987-संस्करण) के नियम 1802 (क) के अधीन इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन ..... की दिनांक ..... से सेवानिवृत्ति के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्रारूपों के प्रिंट आउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. नियम 11/नियम 12/नियम 13 के अनुसरण में, सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, श्री कुमारी/श्रीमती/ ..... पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं के अधिवर्षिता पर यथास्वीकार्य फायदों का हकदार है। यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन रेल कर्मचारीअभिदाता के मामले / पर सेवांत फायदों को जारी करने के लिए तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्रारूप 4-ख

[नियम 24 देखें]

[किसी स्वायत निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्रारूप]

सं. .....

भारत सरकार

..... मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

दिनांक.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (पीआरएएन.....) के मामले में किसी स्वायत निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम) पीआरएएन ..... किसी स्वायत निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलित होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर दिनांक ..... से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने जाते है। इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से उनके कार्यमुक्त होने के आदेश की प्रति संलग्न है।

2* चूकि नए संगठन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को योजना लागू है, अत: अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा। उसे ऐसे आमेलन के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ नहीं मिलेगा, परंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां पर अभिदाता को आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात उसे फायदे प्राप्त होंगे।

या

* चूकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना नए संगठन में लागू नहीं है, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 15 के अनुसरण में वह पेंशन निधि विनियमक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्रारूपों के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. यह अनुरोध किया जाता है कि एनपीएस खाते को ..... में अंतरित करने या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्रारूप **4-** ग

[नियम 24 देखें]

[त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृति या पदच्युति या सेवा से हटाए जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्रारूप]

सं. .....

भारत सरकार

..... मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

दिनांक

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (पीआरएएन.....) के त्यागपत्र देने या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि :

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन ..... पर तारीख ..... के आदेश सं. ..... (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को दिनांक ..... से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है।

या

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन ..... पर दिनांक ..... के आदेश सं. ..... (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को दिनांक ..... से सरकारी सेवा से पदच्युत/हटाया जाता है।

या

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन.....ने दिनांक.....को रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने की तारीख.....के आदेश सं. ..... की प्रति संलग्न है।

2. रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 17 या नियम 14 के संदर्भ में, अभिदाता, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों का पात्र है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दावा संबंधी दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्रारूप के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

4. यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्रारूप 4- घ

[नियम 24 देखें]

[आशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्रारूप]

सं .....

भारत सरकार

.....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

दिनांक .....

सेवा,

वेतन और लेखा अधिकारी

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पीआरएन.....) के आशक्त या निःशक्त होने पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन..... अशक्तता (रेल सेवा के कारण नहीं) या निःशक्तता (सरकारी सेवा के कारण) होने पर दिनांक.....को सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 10 के अधीन डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार, अभिदाता रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभों का पात्र है। रेल कर्मचारी द्वारा प्रारूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खातें में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस अभिदाता को एकमुश्त से संदेय होगा।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन..... अशक्तता (सरकारी सेवा के कारण नहीं) या निःशक्तता (सरकारी सेवा के कारण) होने पर दिनांक.....को सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 10 के अधीन डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार और नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में,अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों के पात्र है। श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा प्रारूप-1 प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्रारूप के प्रिंटआउट) श्री/श्रीमती/कुमारी .....द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न है:

1.

2.

3.

4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....के मामले पर उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्रारूप 4- ङ

[नियम 24 देखें]

[सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्रारूप]

सेवा,

सं .....

भारत सरकार

.....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

दिनांक .....

सेवा,

वेतन और लेखा अधिकारी

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पीआरएएन.....) के सेवा में मृत्यु होने के मामले में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन..... की मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी.....की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई है या सरकारी सेवा के कारण हुई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 10 के अधीन डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार, उनका परिवार रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभों का पात्र है। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2024 के नियम 20 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खातें में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त में संदेय होगा। यदि ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो शेष संचित पेंशन कॉर्पस की राशि विधिक उत्तराधिकारी को संदेय होगी। रेल कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रारूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन..... की

दिनांक..... को मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 20 के संदर्भ में और नियम 10 के अधीन डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार, उनका परिवार पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों का पात्र है। अभिदाता द्वारा प्रारूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (भौतिक रूप या ऑनलाइन जमा किए गए प्रारूप के प्रिंटआउट) कुटुम्ब के पात्र सदस्य द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

1.
2.
3.
4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर, उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

*लागू नहीं होने पर काट दें।

[फा. सं. डी-43/10/2021-एफ(ई)III]

अभिजित कुमार सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

G.S.R. 735(E).—— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of implementation of the National Pension System to Railway servants in the Ministry of Railways, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- Save as otherwise provided in these rules, these rules shall apply to the Railway servants, appointed substantively to railway services and posts on or after 1st day of January, 2004, but shall not apply to,-

(a) persons in casual and daily rated employment;
(b) persons paid from contingencies;
(c) persons employed on contract;
(d) persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force; and
(e) persons to whom the Railway Services(Pension) Rules, 1993 apply in accordance with any special or general order issued by the Government.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "accredited bank" in relation to a Ministry or Department or Union territory means the Reserve Bank or any Bank which is appointed to transact business of the Government pertaining to that Ministry or Department or Union territory and is officially recognised for transfer of funds to the Trustee Bank;

(b) "accumulated pension corpus" means the monetary value of the pension investments accumulated in the Individual Pension Account of a subscriber under the National Pension System;

(c) "annuity" means periodic payment by the annuity service provider to the subscriber on purchase of annuity plan out of the accumulated pension corpus;

(d) "annuity service provider" means a life insurance company registered and regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority and empanelled by the Authority for providing annuity services to the subscribers of the National Pension System;

(e) "Authority" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and include interim Pension Fund Regulatory and Development Authority set up by the Central Government through Resolutions;

(f) "central recordkeeping agency" means an agency registered under section 27 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to perform the functions of recordkeeping, accounting, administration and customer service for subscribers to schemes;

(g) "Code" means the Indian Railway Establishment Code, as amended from time to time;

(h) "drawing and disbursing officer" means a Head of Office and also any other Gazetted Officer so designated by a Department of the Central Government, a Head of Department or an Administrator, to draw bills and make payments on behalf of the Central Government and also include a Head of Department or an Administrator where he himself discharges such function;

(i) "Cheque drawing and disbursing officer" means a Drawing and Disbursing officer functioning under a Ministry or Department or a Union territory, who is authorised to withdraw money for specified types of payments against an assignment account opened in his favour in a specified branch of an accredited Bank;

(j) "defence services" means the services under the Government of India in the Ministry of Defence and in the Defence Accounts Department under the control of the Ministry of Defence paid out of the Defence Services Estimates and not permanently subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957);

(k) "emoluments" means emoluments as specified in rule 5;

(l) "foreign service" means service in which a railway servant receives his pay with the sanction of the Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State or the Consolidated Fund of a Union territory;

(m) "Form" means Forms annexed to these rules.

(n) "Government" means the Central Government in the Ministry of Railways;

(o) "Head of department" means any authority whom the President may, by order, declare to be the Head of a department for the purpose of these rules;

(p) "Head of office" means a Gazetted Officer whom the appointing authority may, by order declare as Head of office and includes such other authority or person whom the appointing authority may specify in the like manner;

(q) "individual pension account" means an account of a subscriber, executed by a contract setting out the terms and conditions under the National Pension System;

(r) "local fund administered by Government" means the fund administered by a body which, by law or rule having the force of law, comes under the control of the Government and over whose expenditure the Government retains complete and direct control;

(s) "National Pension System" means the contributory pension system referred to in section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 whereby contributions from a subscriber are collected and accumulated in an individual pension account using a system of points of presence, a Central Recordkeeping Agency and pension funds as may be specified by regulations by Pension Fund Regulatory and Development Authority;

(t) "Pay and accounts officer" means an officer, whatever his official designation, who maintains the accounts of a Ministry, Department or Office of the Central Government or Union territory and includes,-

(i) an Accountant-General, who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the Central Government or Union territory: and

(ii) a Financial Adviser and Chief Accounts Officer of a railway or such other officers as may be appointed in this behalf by the Railway Board;

(u) "pension fund" means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations;

(v) "Permanent Retirement Account Number" means a unique identification number allotted to each subscriber by the central recordkeeping agency;

(w) "subscriber" means a railway servant who subscribes to a scheme of a Pension fund;

(x) "Trustee Bank" means a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Code, the Railway Services (Pension) Rules, 1993, the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 or Pension Fund Regulatory and Development Authority regulations have the same meanings respectively assigned to them in that Code, Rules, Act or Regulations.

GENERAL CONDITIONS

4. Registration into National Pension System.- (1) A Railway servant to whom these rules apply, shall, immediately on joining service submit an application in common subscriber registration Form or in any other Form specified by the Authority, along with an option Form referred to in rule 10, to the Head of Office for registration to the National Pension System.

(2) The Head of Office shall on receipt of the application under sub-rule (1), ensure that the application is completed in all respects, countersign it indicating the date of receipt and send it to the Drawing and disbursing officer within three working days of joining of the railway servant and the Head of Office shall keep a copy of the application Form for record.

(3) The Drawing and Disbursing Officer shall forward the application of individual subscriber to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, within three working days from the date of receipt of the application from the Head of Office.

(4) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall process the application received from the Drawing and Disbursing Officer and forward it to the central recordkeeping agency through the online system within three working days from the date of receipt of the application from the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer shall also forward duly signed copy of the application to the central recordkeeping agency for record.

(5) The central recordkeeping agency shall complete registration process and allocate a Permanent Retirement Account Number in respect of each railway servant in the Form provided by the Authority.

(6) After completion of the registration process, the central recordkeeping agency shall communicate the Permanent Retirement Account Number to the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, and also forward Permanent Retirement Account Number kits to the subscriber in accordance with the process and turn-around time specified by the Authority.

(7) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall communicate Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the concerned Drawing and Disbursing Officer immediately.

(8) The Drawing and Disbursing Officer shall communicate the Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the Head of Office immediately.

(9) The Head of Office shall intimate the Permanent Retirement Account Number to the subscriber and shall record the Permanent Retirement Account Number (PRAN) in the Common Subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority, and submitted by the subscriber and in the service book of the subscriber and also paste a certified copy of the Common subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority in the service book of the subscriber within five working days thereafter.

(10) The authorities referred to in sub-rule (2) to sub-rule (9) shall ensure that there is no delay in the process of registration of the railway servant in the National Pension System and crediting of first contribution in his Individual Pension Account.

(11) The first contribution of the railway servant shall be credited in his Individual Pension Account within twenty days of the date of submission of the application under sub-rule (1) or by the last date of the month in which the railway servant joined, whichever is later.

(12) In a case where the process of registration of the railway servant in the National Pension System has not been completed before the date of drawal of the salary for the first month or any subsequent month, such salary or salaries shall be paid to the railway servant after withholding the amount of contribution as determined in accordance with rule 6.

(13) The amount of the contribution withheld from the salary as well as the amount of interest payable under rule 8 shall be credited to the Individual Pension Account of the railway servant as soon as the process of generation of Permanent Retirement Account Number of railway servant in the National Pension System is completed by the central recordkeeping agency and communicated to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer.

(14) Action on the option Form submitted under sub-rule (1) shall be taken in accordance with rule 10.

5. Emoluments.- (1) The expression `emoluments' for the purpose of determining the amount of mandatory contribution under the National Pension System includes basic pay as defined in clause (i) of rule 1303 of the Code, non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice and admissible dearness allowance in a calendar month:

Provided that, in the case of running staff, the method stipulated in Railway Board’s letter No. 2004/AC-II/21/1 dated 22.06.2004 shall be taken as emoluments for determining the amount of mandatory contribution under the National Pension System.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a subscriber had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary actually drawn shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule:

Provided that the amount of pay, non-practicing allowance and dearness allowance, actually drawn during leave shall be taken into account as emoluments for the purpose of this rule.

(3) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave, during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, non-practicing allowance referred to in this rule and dearness allowance in the leave salary which he actually drew for the part of that calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable, shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(4) If a subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(5) Pay drawn by a subscriber while on deputation in India shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(6) In the case of a subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the Government had he not been on foreign service or such deputation, shall be taken into account for emoluments.

(7) Where a retired subscriber, who is re-employed in railway service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment, has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which his pay is reduced shall be included in emoluments.

6. Contribution by the subscriber to the National Pension System.- (1) The National Pension System shall work on defined contribution basis and a subscriber shall make a contribution of ten per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of his emoluments to the National Pension System every month.

(2) The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

(3) The contribution may be made by the subscriber, at his option, during the period of suspension:

Provided that where the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the subscriber becomes entitled to for the period of suspension.

(4) The difference of the amount of contribution to be deposited and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the subscriber along with interest and the rate of interest for this purpose would be as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

(5) No contribution shall be made by the subscriber during the period of absence from duty (whether on leave or otherwise) for which no pay or leave salary is payable.

(6) During the period of transfer on deputation to a Department or organisation under the Central Government or the State Government, the subscriber shall remain subject to these rules in the same manner, as if he was not so transferred or sent on deputation and will continue to contribute towards National Pension System based on emoluments worked out in accordance with sub-rule (5) of rule 5.

(7) The contributions in respect of any arrears of salary received by the subscriber due to retrospective increase shall be treated as the contributions for the month in which the payments are made.

(8) The subscriber shall contribute towards National Pension System during the period spent under probation.

(9) The deduction and crediting of contributions to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International Organisation, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Ministry of Railways from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(10) The Drawing and Disbursing Officer shall deduct the contribution from the salary of the railway servant and send the bill to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, along with details of contributions deducted in respect of each subscriber on or before twentieth day of each month.

(11) A subscriber may, at his option, make contribution in excess of the contribution specified in sub-rule (1), in accordance with the procedure specified by the Authority and the Government.

(12) (i) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, based on the details of contributions in respect of each subscriber sent by the Drawing and Disbursing Officer to Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, under sub-rule (10), shall prepare and upload a subscription contribution file and generate a transaction Identity number by twenty-fifth day of each month.

(ii) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall remit the contribution to the Trustee Bank through the Accredited Bank by the last working day of each month:

Provided that the contribution for the month of March shall be remitted by the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer to the Trustee Bank through the Accredited Bank on the first working day of the month of April.

(iii) In case of delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8.

7. Contribution by the Government.- (1) The Government shall make contribution of fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a railway servant to the Individual Pension Account of the subscriber every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in cases where the leave is granted to the subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution equal to fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, non-practicing allowance referred to in rule 5.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1), no contribution shall be made by the Government for the period during which the subscriber is not required to make contribution in accordance with these rules.

(3) In the case of a subscriber under suspension, contribution shall be made by the Government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the subscriber during the period of such suspension:

Provided that no contribution shall be made by the Government during the period of suspension where the subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension :

Provided further that where, in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the Government to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the subscriber becomes entitled to for the period of suspension:

Provided also that the difference of the amount of contribution to be deposited by the Government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the subscriber along with interest and the rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

(4) The contribution by the Government to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian

Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Ministry of Railways from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(5) The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

(6) The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the subscriber would also be applicable for remittance of contribution by the Government:

Provided that in case there is a delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8.

8. Interest on delayed deposit of contributions.- (1) In case of delay, due to factors not attributable to the subscriber, in,-

(i) commencement of monthly contributions on account of delay in registration of the subscriber in the National Pension System beyond the time limits as provided in rule 4; or

(ii) deduction of monthly contribution from the salary of the subscriber or crediting to his Individual Pension Account beyond the time limit as provided in rule 6; or

(iii) crediting of the monthly contributions by the Government to the Individual Pension Account of the subscriber beyond the time limit as provided in rule 7, the amount of contribution may be credited to the Individual Pension Account of the subscriber along with interest for the delayed period:

Provided that the interest shall be credited to the Individual Pension Account of the employee within a period of thirty days of the crediting of the amount of contribution:

Provided further that the rate of interest for this purpose would be the rate of interest, as decided by the Government from time to time, for the Public Provident Fund deposits :

Provided also that the rate of interest applicable for the period from 1st January, 2004 to 31st December, 2012 shall be as per Board's instructions issued *vide* letter No. D-43/12/2018-F(E)III dated 21.02.2019 and 07.06.2019.

(2) (i) Every case of delay in registration of the subscriber in the National Pension System or commencement of contributions under rule 4 or deduction and crediting of monthly contribution of the subscriber under rule 6 or crediting of monthly contribution by the Government in the Individual Pension Account of the subscriber under rule 7, shall be examined by the Head of Department for fixation of responsibility;

(ii) If the Head of Department is satisfied that the delay is caused on account of administrative lapse, the delinquent official or officials shall be liable to pay the amount of pecuniary loss to the Government on account of payment of interest;

(iii) The responsibility and the amount of liability on the part of the delinquent official or officials shall be determined in the same manner as in the case of delayed deduction or remittance of Tax Deduction at Source under sub-section (1A) of section 201 of the Income-tax Act, 1961:
Provided that this shall be without prejudice to any disciplinary action which the disciplinary authority may propose to take against the official or officials responsible for the administrative lapse in this respect.

9. Investment of the Accumulated Pension Corpus.- The Accumulated Pension Corpus in respect of a subscriber shall be invested by such pension fund or funds and in such manner as may be notified by the Authority.

10. Option to avail benefits on death or invalidation or disability of subscriber during service.- (1) Every Railway servant covered under the National Pension System shall, at the time of joining railway service, exercise an option in Form 1 for availing benefits under the National Pension System or under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation. Railway

servants, who are already in railway service and are covered by the National Pension System, shall also exercise such option as soon as possible after the notification of these rules.

(2) The option shall be exercised to the Head of Office who shall accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book.

(3) A copy of the option shall be forwarded by the Head of Office to the central recordkeeping agency through the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer for their record and the Pay and Accounts Officer shall also make suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the railway servant.

(4) (a) (i) Every railway servant shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office;

(ii) If the railway servant has no family, he shall furnish the details in Form 2, as soon as he acquires a family.

(b) The railway servant shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

(c) As and when a disability referred to in the proviso to sub-rule (6) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a Medical Certificate from,-

(i) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(ii) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation; or

(iii) a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of disability including mental retardation:

Provided that a fresh medical certificate would be required as and when the claim for family pension arises.

(d) (i) The Head of Office shall, on receipt of the Form 2, acknowledge receipt of the Form 2 and all further communications received from the railway servant in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get it pasted on the service book of the railway servant concerned;

(ii) The Head of Office on receipt of communication from the railway servant regarding any change in the size of family shall incorporate such a change in Form 2.

(5) (a) The option exercised under sub-rule (1), may be revised at any number of times by the subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office. On receipt of the revised option, the Head of Office and the Pay and Accounts Officer shall take further action as mentioned in sub-rule (2);

(b) A subscriber who is discharged on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge;

(c) Where such subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the subscriber shall become operative;

(d) Where no option was exercised by the subscriber and the subscriber is not in a position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with sub-rule (7) of this rule.

(6) In the case of death of a subscriber while in service, the last option exercised by the deceased subscriber before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

(7) (a) Where a subscriber who did not exercise an option under sub-rule (1) and dies before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules, his family will be granted family pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules,

1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 as the case may be, as a default option;

(b) Where a subscriber is discharged from Railway service on invalidation or disability before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules without exercising an option under sub- rule (1), and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he shall be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993 as the case may be, as default option;

(c) In all other cases, where no option was exercised by the subscriber, the claim of the subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the subscriber shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as default option.

(8) In cases where the option exercised by the deceased subscriber in accordance with sub-rule (1) or the default option in accordance with sub-rule (7) for benefit under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993 becomes infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993, such option would be deemed to have become invalid and the benefits admissible under the National Pension System shall be granted to the legal heir of the employee in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

11. Retirement on superannuation.- A subscriber, who is retired on his attaining the age of superannuation or, if the service of the subscriber has been extended beyond superannuation, on expiry of such period of extension of service beyond the age of superannuation, shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the subscriber retiring on superannuation.

12. Retirement on completion of twenty years' regular service.- (1) At any time after a subscriber has completed twenty years' regular service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service :

Provided that this rule shall not apply to a subscriber, including scientist or technical expert, who is, –

(i) on assignments under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programmes ;

(ii) posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments ;

(iii) on a specific contract assignment to a foreign Government, unless, after having been transferred to India, he has resumed the charge of the post in India and served for a period of not less than one year.

Explanation: For the purposes of this rule,-

(a) "regular service" shall mean service commencing from the date of joining of a post in the Central Government on a regular basis, whether on direct recruitment or absorption or re-employment basis, and shall include past regular service, in the same or another Central Government Department, a State Government or an autonomous or statutory body, before joining the present service with proper permission, if such past service is allowed to be counted as qualifying service for the purpose of gratuity in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

(b) Periods spent on all kinds of leave (including study leave and extraordinary leave), deputation or foreign service, duly sanctioned by the competent authority, shall be treated as regular service for the purpose of this rule.

(c) service rendered on casual, ad-hoc or contract basis, before appointment on regular basis, in the same or another Department of Central Government, a State Government or an autonomous or statutory body, shall not be treated as regular service for the purpose of this rule.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-rule(1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) (a) The subscriber referred to in sub-rule (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor.

(b) The appointing authority, on receipt of a request under clause (a), subject to sub-rule (2), may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if he is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months.

(4) The subscriber, who has chosen to retire under this rule and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be made at least fifteen days before the intended date of his retirement.

(5) This rule shall not apply to a subscriber who, -

(a) retires under the Special Voluntary retirement Scheme introduced *vide* letter No. E(P&A)-2002/RT-1 dated 4th August, 2004, as amended from time to time; or

(b) retires from Government service for being absorbed in an autonomous body, or a public sector undertaking.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression "appointing authority" shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the subscriber seeks voluntary retirement.

(6) The subscriber, on voluntary retirement from service, shall be entitled to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the subscriber retiring on superannuation.

(7) If the subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

13. Benefits on retirement under chapter 18 of the Indian Railway Establishment Code–Vol II (1987-Edition) or under the special voluntary retirement scheme.- (1) A subscriber,-

(i) who retires or is retired, in advance of the age of Compulsory retirement in accordance with chapter 18 of the Indian Railway Establishment Code–Vol II (1987-Edition); or

(ii) who, on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme introduced *vide* letter No. E(P&A)-2002/RT-1 dated 4th August, 2004, as amended from time to time, shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the subscriber retiring on superannuation :

Provided that a subscriber who on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme, shall also be entitled to *ex-gratia* admissible under the Scheme in addition to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

(2) If the subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

14. Resignation from Railway service.- (1) On resignation from a railway service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the

regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a subscriber from the National Pension System before superannuation :

Provided that such payment of lump sum withdrawal and annuity shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the subscriber is relieved of his duty :

Provided further that if the subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, the payment shall be made to the person eligible to receive such payment immediately in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a subscriber from the National Pension System before superannuation :

Provided also that such person may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number, as a non-Government subscriber in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) Where with proper permission, the resignation has been submitted to take up another appointment, whether temporary or permanent, in the same or any other Department of the Central Government or the State Government and the employees of such Department are covered by the National Pension System, the subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number on the new appointment and shall be deemed to be a member of the National Pension System from the date he joined the Government service on a post to which he was first appointed :

Provided that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, the subscriber shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation :

Provided further that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority, in this regard.

(3) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely:-

(a) the person concerned was not a temporary railway servant at the time of acceptance of his resignation;

(b) the resignation was tendered by the railway servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency, or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation;

(c) during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which, the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper;

(d) the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date of which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

(e) the post, which was vacated by the Railway servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(4) Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a Railway servant resigns from service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Government or a Body controlled or financed by the Government.

(5) When an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service.

15. Benefit on absorption in or under a corporation, company or body.-(1) A subscriber who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and shall be eligible to receive benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation:

Provided that the subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation if the same system exists in the new organisation and in that case he shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where subscriber has been absorbed:

Provided further that where the employees of such autonomous or statutory body or public sector undertaking are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the subscribers who, on conversion of the Government Department in which they were working, into a public sector undertaking or autonomous body controlled or financed by the Central Government, are absorbed in such public sector undertaking or autonomous body.

(3) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the subscribers who are permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of Central Government and State Governments or Union territory Administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union territory Administrations.

Explanation 1: The date of absorption shall be, in case, a subscriber, -

(i) joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body;

(ii) initially joins a corporation or company or body on foreign service terms, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Government; and

(iii) joins a corporation or company or body on conversion of a Government department into a public sector undertaking or autonomous body, the date from which his option to be absorbed in that corporation or company or body is accepted by the Government.

Explanation 2: For the purposes of this rule, body means autonomous body or statutory body.

16. Entitlement on retirement on invalidation.- (1) The case of a subscriber acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such subscriber shall produce a disability certificate from the competent authority as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a subscriber, in a case where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), are not applicable, intends to retire from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may apply to the Head of Department for benefits on retirement on invalidation :

Provided that an application for benefits on retirement on invalidation submitted by the spouse of the subscriber failing which by a member of the family of the subscriber may also be accepted, if the Head of Department is satisfied that the subscriber himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity :

Provided further that where a subscriber, who has acquired a disability and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), are applicable, intends to

retire under this rule, the subscriber shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay matrix and service benefits which he is otherwise entitled to:

Provided that in case, the subscriber does not withdraw his request for retirement under this rule, his request may be processed in accordance with the provisions of this rule.

(3) The Head of Office or the Head of Department shall, on receipt of an application under sub-rule (2), within fifteen days of the receipt of such application, request the concerned authority for examination of the subscriber within thirty days of receipt of such request, by the following medical authority,-

(a) a Medical Board in the case of a Gazetted Railway servant and of a non-Gazetted Railway servant whose pay, as defined in rule 1303 (i) of Code exceeds fifty- four thousand rupees per mensem ;
(b) Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

the medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or Department in which the subscriber is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the subscriber, and if a service book is being maintained for the subscriber, the age recorded therein should be reported and a copy of the letter requesting for examination by the medical authority shall be endorsed to the subscriber.

(4) The subscriber shall appear before the concerned medical authority for medical examination on the date fixed by that authority and the medical authority shall examine the subscriber to ascertain whether or not the subscriber is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.
(5) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the medical authority has received a request from the Head of his Office or Head of Department for medical examination of the subscriber.
(6) A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.
(7) Where the medical authority referred to in sub-rule (3), has found a subscriber mentioned in sub-rule (2) not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall be issued a Medical Certificate in Form 3. If the subscriber is found to be unfit for further service, he may be granted benefits on retirement on invalidation.
(8) If the subscriber, has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted benefits on retirement on invalidation.
(9) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993, and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993.
(10) If the subscriber, avails the benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 in accordance with sub-rule(9), the individual pension account of the subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account.
Provided that the remaining accumulated pension corpus shall be paid to the subscriber in lump sum.
(11) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and

Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a subscriber on superannuation.

(12) If a subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System in accordance with sub-rule(11), intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

17. Entitlement on boarding out from service on account of disablement.- (1) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993, is boarded out on account of disablement attributable to railway service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993.

(2) If the subscriber avails the benefits under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 in accordance with sub-rule (1), the individual pension account of the subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account.

Provided that the remaining accumulated pension corpus shall be paid to the subscriber in lump sum.

(3) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as admissible in the case of exit of a subscriber on superannuation.

(4) If a subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System in accordance with sub-rule (3) intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

18. Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service.- (1) Where a subscriber, is compulsorily retired from service as a penalty or is dismissed or removed from railway service, the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority payable to the subscriber as admissible in the case of exit of a subscriber from the National Pension System before superannuation:

Provided that the subscriber, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) Sub-rule (1) shall be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

19. Effect of departmental or judicial proceedings pending on retirement.-(1) Departmental or judicial proceedings, which were instituted while the subscriber was in service but are not concluded before retirement or the judicial proceedings instituted after retirement of the subscriber, shall not affect the benefits payable to the subscriber out of his accumulated pension corpus and the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a subscriber from the National Pension System on superannuation.

(2) The provision under sub-rule (1) shall be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

20. Entitlement for family on death of a subscriber.- (1) On death of, -

(a) a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993; or

(b) a retired subscriber, who was in receipt of an Invalid Pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993, in terms of rule 16 or a disability pension under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, in terms of rule 17, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993:

Provided that if the death is attributable to railway service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993, subject to fulfillment of all the conditions for grant of benefits under those rules.

(2) If on death of the subscriber, benefits are payable to the family under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993, in accordance with sub-rule (1), the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account:

Provided that the remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015:

Provided further that if there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir.

(3) In the case of death of a subscriber who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the National Pension System, such benefits may be granted in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

21. Preparation of list of subscriber due for retirement.- (1) Every Head of Department shall have a list prepared every three months, that is, on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October each year of all subscribers who are due to retire within the next twelve to fifteen months from that date.

(2) A copy of every such list, as specified in sub-rule (1), shall be supplied to the Pay and Accounts Officer concerned not later than the 31st January, 30th April, 31st July or the 31st October, as the case may be, of that year.

(3) In the case of a subscriber retiring for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office shall promptly inform the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer concerned, as soon as the fact of such retirement becomes known to him.

(4) A copy of intimation sent by the Head of Office to the Pay and Accounts Officer under sub-rule(3) shall also be endorsed to the Directorate of Estates or to the office concerned for allotment of Railway accomodation, if the subscriber concerned is an allottee of Government accommodation or Railway accommodation.

22. Intimation to the Directorate of Estates or to the concerned office of Railway regarding issue of "no demand certificate".- (1) The Head of Office shall write to the Directorate of Estates or in the case of railway accommodation to the concerned office at least one year before the anticipated date of retirement of the subscriber who was or is in occupation of a Government accommodation or railway accommodation, as the case may be,(hereinafter referred to as allottee) for issuing a `No demand certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.

(2) On receipt of the intimation under sub-rule (1), the Directorate of Estates or the office concerned for allotment of Railway accommodation shall take further action as required.

23. Submission of claim for benefits under the National Pension System on superannuation.- (1) A subscriber shall have the option for submission of claim for benefit under the National Pension System through a mode, as specified by the Authority from time to time.

(2) Every subscriber shall, six months before the date on which he is due to retire on superannuation, or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, whichever is earlier, submit to the Head of Office, duly filled withdrawal Form specified by the Authority along with the documents mentioned in the withdrawal Form.

(3) In other cases of retirement or exit from the National Pension System, the subscriber shall submit to the Head of Office, duly filled withdrawal Form specified by the Authority along with the documents mentioned in the withdrawal Form immediately after issue of orders of the competent authority for such retirement or exit.

Explanation:- For purposes of this rule, it is clarified that where the subscriber has submitted the claim through online mode, he shall submit a *signed* copy of the print-out of the said withdrawal Form along with the documents mentioned in the withdrawal Form.

(4) The National Pension System shall generate claim Identity number(s) and inform nodal officers, i.e. the Pay and Accounts Officers or the Cheque Drawing and Disbursing Officers, six months before the date of retirement for those subscribers who shall retire on superannuation in the next six months.

24. Completion and forwarding of papers for benefits under National Pension System.- (1)The Head of office shall complete the papers on his part and forward the same to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer with a covering letter in the Form mentioned below, namely : -

Mode of retirement or exit.	Form of covering letter.
Superannuation or Voluntary Retirement or Premature retirement under chapter 18 of the Indian Railway Establishment Code–Vol II (1987-Edition) or Special Voluntary Retirement Scheme introduced vide letter No. E(P&A)-2002/RT-1 dated 4th August,2004.	Form 4-A.
Technical Resignation *or* Absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking.	Form 4-B.
Resignation or Compulsory Retirement as a measure of penalty or Dismissal or Removal from service.	Form 4-C.
Retirement on Invalidation or Disablement.	Form 4-D.
Death during service.	Form 4-E.

(2) In the case of a subscriber retiring on superannuation, the Head of Office shall forward the complete papers to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer not later than four months before the date of retirement of the subscriber and in other cases, not later than one month after the date of retirement or exit of the subscriber.

(3) The Head of Office shall retain a copy of each of the Forms and documents referred to in sub-rule (1) for his record.

(4) After processing the withdrawal request in the online system of central recordkeeping agency in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, the Pay and Accounts Officer shall forward the documents referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) to the central recordkeeping agency not later than one month before the date of retirement of subscriber.

(5) In case the subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of superannuation or exit, he shall exercise an option in this regard and send it to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer not later than fifteen days before the date of superannuation. Such option shall be processed by

the Pay and Accounts Officer in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

25. Subscribers on deputation.- (1) In the case of subscriber who retires while on deputation to another Department of the Central Government, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the Head of Office of the parent Department

(2) In the case of a subscriber who retires from service, while on deputation to a State Government or while on foreign service, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the Head of Office or the Cadre authority which sanctioned deputation to the State Government or to foreign service.

(3) In the case of Central Government employees belonging to various Ministries or Departments who happen to be on deputation to Railways at the time of their retirement, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the Head of Office of the parent Department.

26. Date of retirement to be notified.- When a subscriber retires from service, –

(a) a notification in the Official Gazette in the case of a Gazetted subscriber; and

(b) an office order in the case of a Non-gazetted subscriber, shall be issued specifying the date of retirement within a week of such date and a copy of every such notification or office order, as the case may be, shall be forwarded immediately to the Pay and Accounts Officer.

27. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Ministry of Railway (Railway Board), for decision and the Ministry of Railways (Railway Board) shall take decision after consulting the Department of Pension and Pensioners' Welfare of the Government of India.

28. Power to relax.- (1) Where the competent authority is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, that authority, may for reasons to be recorded in writing, approach the Ministry of Railways (Railway Board) for dispensing with or relaxing the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) The Ministry of Railways (Railway Board) shall examine each such case and arrange to communicate the sanction of the President to the proposed dispensation or relaxation, as it may consider necessary keeping in view the merits of each case and keeping in view of another statutory provisions:

Provided that no such order shall be made without concurrence of the Department of Pension and Pensioners' Welfare, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India.

29. Power of Central Government to provide for residual matters.- (1) Any related issues not specifically covered in these rules, shall be decided in terms of the relevant provisions in this regard contained in the Railway Services (Pension) Rules, Code or any general or special order issued by the Government provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.

(2) The Central Government may issue orders or instructions to regulate any matter for which there is no provision in the rules made or deemed to have been made under these rules and, until such rules are made, such matters shall be regulated as per orders or instructions issued from time to time.

30. Repeal and saving.- On the commencement of these rules, every order, instruction or Office Memorandum in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate. Anything done or any action taken under those order, instruction or Office Memorandum shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.

Form 1

OPTION TO AVAIL BENEFITS IN CASE OF DEATH OR DISCHARGE ON INVALIDATION OR DISABILITY OF RAILWAY SERVANT / SUBSCRIBER DURING SERVICE

[See rule 10)

* I, ..., hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993 as the case may be, may be paid to me or my family.

OR

* I, ..., hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits may be paid to me or my family, as the case may be, based on the accumulated pension corpus in the Individual Pension Account under the National Pension System in accordance with the Railway Services(Implementation of National Pension System) Rules, 2024.

Signature of Railway Servant/Subscriber

Name----------

Designation----------

Office in which employed----------

Telephone No----------

Place and date:

This option supersedes any other option made by me earlier.

* Completely strike out the benefits for which option is not intended to be made.

(To be filled in by the Head of Office or authorised Gazetted Officer)

Received the option dated..... , under Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024 made by Shri/Smt./Kumari....., Designation.....

Office.....

Entry of receipt of option has been made in page ……Volume… of Service Book.

Signature,

Name and Designation of Head of Office or authorized Gazetted Officer with seal

Date of receipt……..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the railway servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death/ invalidation.

Form 2

Details of Family

[See rule 10(3)]

Important

1. The original Form submitted by the railway servant / subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the Government servant/retired Railway servant / subscriber alongwith the supporting documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring subscriber should submit the details of family afresh at the time of retirement.

2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. The retired railway servant shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under Dept. of P.& P.W., O.M No. 1 (23)-P.&P. W/91-E, dated the 4th November, 1992.

6. Copies of birth certificates to be attached. Copies of any other relevant certificates, if available, should be attached.

Name of the railway servant / subscriber		Designation		Nationality	

Details of family members:

S.N.	**Name (Please see notes below before filling)**	**Date of birth DD/MM/YYYY)**	**Aadhaar no.* (optional)**	**Relationship with railway servant/ retired railway servant / subscriber**	**Marital status**	**Remarks**	**Dated signature of Head of Office**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

E-mail:(Optional)

Mobile:(Optional)

Place:

Date:

(Signature)

**Providing Aadhaar No. is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.*

Form 3

(See rule 16)

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined …….(name of the railway servant/ subscriber) son of…….., a ……..……(Designation) in the ……

I/(We) consider ……to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs to consequence of…….(here state disease or cause).

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made.)

" I am / we are of opinion that..... is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing/may, after resting for……months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."

Place……..

Dated the …….

Medical Authority

Form 4- A

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on superannuation or voluntary retirement or Pre-mature retirement or Special Voluntary retirement]

No ……
Government of India
Ministry/Department/Office of

Dated the

To,

The Pay and Accounts Officer,

(Through-the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on retirement on superannuation or voluntary retirement or Premature retirement or Special Voluntary retirement- case of Shri/Smt./Km……..(PRAN……)

Sir,

I am directed to say that:

* Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN…….. of this Ministry/ Department/office is due for retirement on superannuation on .....

OR

* A notice for voluntary retirement of Shri /Smt. /Km..... (name and designation), PRAN of this Ministry or Department or office with effect from .....under rule 12 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024 or rules under Chapter 18 of Code or Special Voluntary Retirement Scheme, introduced vide letter No. E(P&A)-2002/RT-1 dated 04.08.2004, has been accepted by the competent authority. A copy of the order issued in this regard is enclosed.

OR

* An order for retirement of Shri /Smt. /Km..... (name and designation), PRAN… of this Ministry or Department or office under rule 1802(a) of Code(1987-Edition) with effect from ……. has been issued by the competent authority. A copy of the order issued in this regard is enclosed.

2. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:

1.

2.

3.

4.

3. On retirement from service, in accordance with rule 11/rule 12/rule 13, Shri/Smt./Km.…….is entitled to benefits under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible to the subscribers retiring on superannuation. It is requested that the case of the Railway servant / subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed accordingly.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.

Form 4-B

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking]

No ……
Government of India
Ministry/Department/Office of

Dated the

To

The Pay and Accounts Officer

(Through - the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking or resigned on technical ground-case of Shri/Smt./Km.....(PRAN..).

Sir,

I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN… , of this Ministry or Department or office is deemed to have retired from Government service w.e.f.....on absorption in....., an autonomous body or Public sector undertaking or resigned on technical ground. A copy of order of his relieving from this Ministry or Department or office is enclosed.

2* Since the scheme of the National Pension System exists in the new organisation, the subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation. He shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where subscriber has been absorbed.

OR

* Since the scheme of the National Pension System does not exist in the new organisation, in accordance with rule 15 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, he or she shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National

Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:

1.
2.
3.
4.

3. It is requested that the case of the subscriber may be processed for transfer of the NPS Account to……..or release of terminal benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation.

.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.

Form 4- C

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service]

No ……
Government of India
Ministry/Department/Office of

Dated the

To,

The Pay and Accounts Officer

(Through - the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service of Shri /Smt. /Km…….. (PRAN.....)

Sir,

I am directed to say that:

* A penalty of compulsory retirement has been imposed on Shri/Smt./Km..... (name and designation), PRAN…… of this Ministry or Department or office vide Order No.....dated.....(Copy enclosed). Accordingly, Shri/Smt./Km.....stands compulsorily retired from Government service with effect from .....

OR

* A penalty of dismissal or removal from service has been imposed on Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN…….. of this Ministry or Department or office vide Order No dated.....(Copy enclosed). Accordingly, Shri/Smt./Km…….....stands dismissed/ removed from Government service with effect from .....

OR

* Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN…..... of this Ministry or Department or office has resigned from Government service with effect from..... A copy of the Order No……dated.....for acceptance of resignation is enclosed.

2. In terms of rule 17 or rule 14 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, the subscriber is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber before superannuation.

3. The following claim papers (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:

1.

2.

3.

4.

4. It is requested that the case of the subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber before superannuation.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.

Form 4-D

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement]

No ……
Government of India
Ministry/Department/Office of

Dated the

To,

The Pay and Accounts Officer

(Through - the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement of Shri /Smt./Km..... (PRAN …….)

Sir,

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN ..... of this Ministry or Department or office retired on invalidation (not attributable to Railway service) or disablement (attributable to Government service) on ..... As per the option exercised by Shri/Smt./Km ……/ default option under rule 10 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, the subscriber is eligible for benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. A copy of the option exercised by the railway servant in Form-1 is enclosed. Further action for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 is being taken accordingly. In accordance with rule 16 or rule 17 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the subscriber.

OR

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN ..... of this Ministry or Department or office retired on invalidation (not attributable to Government service) or disablement (attributable to Government service) on ..... . As per the option exercised by Shri/Smt./Km...../ default option under Rule 10 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024 and in accordance with rule 16 or rule 17, the subscriber is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation. A copy of the option exercised by Shri/Smt./Km.....in Form -1 is enclosed. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, as submitted by the Shri/Smt./Km.....are also enclosed:

1.
2.
3.
4.

2. It is requested that the case of Shri/Smt./Km.....for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.

Form 4- E

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on death in service]

To,

No ……
Government of India
Ministry/Department/Office of

Dated the

To,
The Pay and Accounts Officer

(Through- the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on death in service- case of Shri /Smt./Km..... (PRAN)

Sir,

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN… of this Ministry or Department or office died on ..... The death of Shri/Smt./Km..... is not attributable to Government service or attributable to Government service. As per the option exercised by Shri/Smt./Km , default option under rule 10 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, his family is eligible for benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. Further action for disbursement of benefits to the family in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 is being taken accordingly. In accordance with rule 20 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir(s). A copy of the option exercised by the Railway servant / subscriber in Form -1 is enclosed.

OR

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN.....of this Ministry or Department or office died on ..... . As per the option exercised by Shri/Smt./Km……., default option under rule 10 and in terms of rule 20 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2024, his family is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. A copy of the option exercised by the subscriber in Form -1 is enclosed. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) specified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, as submitted by the eligible member of the family are enclosed:

1.
2.
3.
4.

2. It is requested that the case of the subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

Head of Office

*Strike out if not applicable.

[F. No. D-43/10/2021-F(E)III]

ABHEEJIT KUMAR SINHA, Executive Director, Finance (Establishment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.07 15:30:03 +05'30'